Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
June 2024 5(6), 3325–3329

# MULTIDIMENSIONAL LAYERS OF DOMESTIC VIOLENCE IN CONTEMPORARY INDIA: AN ANALYSIS OF SOCIAL, CULTURAL AND LEGAL ASPECTS

# समकालीन भारत में घरेलू हिंसा की बहुआयामी परतें: सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण

Upendra Grewal [1], Kalpana Rani [2]

[1] Assistant Professor, Department of Law, I.F.T.M. University Moradabad, India
[2] Research Scholar, Department of Law, I.F.T.M. University Moradabad, India

## ABSTRACT

**English:** Domestic violence is a serious and multidimensional social problem in contemporary India, deeply rooted in patriarchal structures, cultural traditions and legal systems. This study attempts to understand the causes, forms and effects of domestic violence by analysing its various layers. The main objective of the research is to understand the complex nature of domestic violence from social, cultural and legal perspectives and to present effective solutions for its elimination.

From a social perspective, this study identifies patriarchy and gender inequality as the primary causes of domestic violence. It emphasizes how family structures and conservative beliefs prevalent in society prevent victims from seeking justice and help. Under cultural aspects, the influence of caste, religion and regional variations further complicates the problem. It is observed that many traditional practices and beliefs make violence acceptable or ignore it as an internal matter of the family.

From a legal perspective, the study assesses the effectiveness of the Domestic Violence Prevention Act, 2005 and other related laws. It also analyses how the shortcomings of the justice system and law enforcement agencies hinder victims from getting justice. Along with this, the lack of rehabilitation and mental health support creates new challenges for the victims.

The research suggests that social awareness, policy reforms and strengthening of legal mechanisms are required for the prevention and elimination of domestic violence. It is also imperative to promote community participation and counselling services to provide protection and justice to the victims. The study concludes that domestic violence should not be considered only as an individual problem, but should be seen as a comprehensive social challenge and integrated efforts should be made to solve it.

**Hindi:** समकालीन भारत में घरेलू हिंसा एक गंभीर और बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जो पितृसत्तात्मक संरचनाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और कानूनी व्यवस्थाओं में गहराई से निहित है। यह अध्ययन घरेलू हिंसा की विविध परतों का विश्लेषण करते हुए इसके कारणों, रूपों और प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह है कि घरेलू हिंसा के जटिल स्वरूप को सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य से समझा जाए और इसके निराकरण के लिए प्रभावी समाधान प्रस्तुत किए जाएँ।

सामाजिक दृष्टि से, यह अध्ययन पितृसत्ता और लैंगिक असमानता को घरेलू हिंसा के प्राथमिक कारणों के रूप में पहचानता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे पारिवारिक संरचनाएँ और समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मान्यताएँ पीड़ितों को न्याय पाने और सहायता मांगने से रोकती हैं। सांस्कृतिक पहलुओं के तहत, जाति, धर्म और क्षेत्रीय विविधताओं का प्रभाव इस समस्या को और जटिल बनाता है। यह देखा गया है कि कई पारंपरिक प्रथाएँ और मान्यताएँ हिंसा को स्वीकार्य बनाती हैं या इसे परिवार का आंतरिक मामला मानकर अनदेखा करती हैं।

कानूनी परिप्रेक्ष्य में, यह अध्ययन घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2005 और अन्य संबंधित कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करता है। इसमें यह भी विश्लेषण किया गया है कि न्याय प्रणाली और कानून प्रवर्तन

**DOI**
10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.6296

**Funding:** This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

**Copyright:** © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

एजेंसियों की कमियाँ पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में बाधा बनती हैं। इसके साथ ही, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के अभाव में पीड़ितों के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
शोध यह सुझाव देता है कि घरेलू हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सामाजिक जागरूकता, नीतिगत सुधार और कानूनी तंत्र के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना भी अनिवार्य है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि घरेलू हिंसा को केवल एक व्यक्तिगत समस्या न मानकर, इसे एक व्यापक सामाजिक चुनौती के रूप में देखा जाए और इसके समाधान के लिए समेकित प्रयास किए जाएँ।

**Keywords:** Domestic Violence, Patriarchy, Gender Inequality, Cultural Traditions, Legal System, Forms of Violence, Societal Attitudes, Caste, Religion and Regional Variations, Domestic Violence Prevention Act, Justice System, Legal Mechanism, Rehabilitation, Mental Health Support, Social Awareness घरेलू हिंसा, पितृसत्ता, लैंगिक असमानता, सांस्कृतिक परंपराएँ, कानूनी व्यवस्था, हिंसा के रूप, समाजिक दृष्टिकोण, जाति, धर्म और क्षेत्रीय विविधताएँ, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, न्याय प्रणाली, कानूनी तंत्र, पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक जागरूकता

# 1. प्रस्तावना

महिलाओं को भारतीय समाज की नींव माना जाता है। वह वह स्तंभ है जो मूल्यों, परंपरा, संस्कृति, परिवार, समाज और सभ्यता को एक साथ कायम रखती है। वह पृथ्वी पर जीवन का पोषण करती है और मानव सभ्यता की नींव है। महिलाओं की महानता और मूल्य को शब्दों में नहीं मापा जा सकता। भारतीय परंपरा में महिलाओं की पूजा की जाती है और उन्हें सम्मान का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता था और उन्हें सभी अधिकार दिए जाते थे। हालाँकि, समय के साथ महिलाओं की स्थिति ख़राब होती गई। सख्त पितृसत्तात्मक समाज के विकास के साथ, महिलाओं के अस्तित्व का अर्थ खो गया। महिलाओं के लिए सभी प्रकार के अत्याचार, हिंसा, कठिनाइयां, प्रतिबंध आदि आम हो गए। हिंसा, दुर्व्यवहार और यातना की व्यापकता जंगल की आग की तरह तेजी से बढ़ी। घरेलू हिंसा हर स्तर और वर्ग की महिलाओं के खिलाफ एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। घरेलू हिंसा संभवतः भारत में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक प्रचलित अपराधों में से एक है।

भारत में घरेलू हिंसा कोई नई अवधारणा नहीं है। ये इतने सालों से मौजूद है और आगे भी जारी है. लगभग सभी भारतीय महिलाएँ चाहे शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब, गोरी, काली, सुंदर या बदसूरत हों, कभी न कभी इसका अनुभव करती हैं। चाहे घूंघट में हों या जींस पहनकर, सभी घरेलू हिंसा की शिकार हैं। कई महिलाएं घरेलू हिंसा को अपनी नियति मान चुकी हैं लेकिन फिर भी बहुत कम महिलाएं इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। उनमें से अधिकांश घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना पसंद नहीं करते क्योंकि या तो उन्हें लगता है कि यह हर महिला के जीवन का सामान्य हिस्सा है या अगर वे बोलेंगे तो इससे उनके परिवार का सम्मान कम हो जाएगा। घरेलू हिंसा न केवल एक नैतिक गलती है बल्कि गैरकानूनी भी है जिसके लिए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) से पता चलता है कि 18-49 वर्ष की आयु की 30% विवाहित महिलाओं ने अपने पतियों द्वारा की गई भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जिसमें शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएं अधिक हैं

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) की रिपोर्ट है कि घरेलू हिंसा का अनुभव करने वाली केवल 14% महिलाओं ने कभी मदद मांगी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या बहुत कम है। घरेलू हिंसा के ये बढ़ते आंकड़े और पीड़िता की ओर से अधिक सहनशील रवैया इस अपराध के तेजी से बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनाता है।

# 2. साहित्य की समीक्षा

भारतीय परिवेश में घरेलू दुर्व्यवहार की एक सशक्त और गहन जांच 'बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स: डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया' है, जिसे रिंकी भट्टाचार्यएक्सिक्स द्वारा संपादित किया गया है। यह पुस्तक लेखन, व्यक्तिगत विवरण और अकादमिक अध्ययनों का एक संयोजन प्रस्तुत करती है जो भारत की घरेलू हिंसा की सर्वव्यापी और कभी-कभी छिपी हुई समस्या पर प्रकाश डालती है। संपादक रिंकी भट्टाचार्य द्वारा विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों और आवाजों को इकट्ठा करने में एक अच्छा काम किया गया है जो घरेलू दुर्व्यवहार की जटिल समझ को बढ़ाता है। पुस्तक समस्या के कई पहलुओं पर चर्चा करती है, जिसमें इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, सांस्कृतिक नींव, सामाजिक आर्थिक निर्धारक, कानूनी ढांचे और उत्तरजीवी अनुभव शामिल हैं।

ए. एलिसएक्स की पुस्तक 'मेन, मैस्कुलिनिटीज़, एंड वायलेंस: एन एथ्नोग्राफ़िक स्टडी' विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक दोनों है। यह पुरुषों, पुरुषत्व की अवधारणा और हिंसक व्यवहार के बीच मौजूद जटिल संबंध की पड़ताल करता है। पुस्तक के लेखक, जिनकी पहचान गुप्त रखी गई है, पुस्तक में

उन तरीकों की मानवशास्त्रीय जांच करते हैं जिनसे पुरुषत्व के विचार समकालीन समाज में विभिन्न प्रकार की हिंसा को जन्म देते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले पुरुषों के अनुभवों और दृष्टिकोणों की जांच करने के लिए, लेखक एक मानवशास्त्रीय पद्धति अपनाता है और खुद को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में डुबो देता है। यह पुस्तक गहन साक्षात्कार, प्रतिभागी अवलोकन और कठोर विश्लेषण का उपयोग करके उन जटिल तत्वों पर प्रकाश प्रदान करती है जो पुरुष पहचान का निर्माण करते हैं और हिंसक व्यवहार के लिए उनके परिणामों पर प्रकाश डालते हैं।

**फिलिप डब्ल्यू कुकक्सी की पुस्तक 'एब्यूज्ड मेन:** द हिडन साइड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस' (2009) महत्वपूर्ण सवाल उठाती है और पाठकों को घरेलू हिंसा के एक उपेक्षित पहलू पर प्रकाश डालती है: पुरुषों का उत्पीड़न। कुक की गहन जांच दुर्व्यवहार के बारे में पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है और घरेलू हिंसा के आसपास चल रही बातचीत में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेखक, फिलिप डब्ल्यू. कुक, विषय को गहन जांच और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ देखते हैं। वह इस तथ्य के लिए एक मजबूत तर्क देता है कि पुरुष और महिला दोनों घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार हो सकते हैं, पुरुष पीड़ितों को अक्सर सहायता मांगने या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में पर्याप्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**एक अभूतपूर्व कार्य, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग:** ट्रांसनेशनल लीगल पर्सपेक्टिव्स, यह जांच करता है कि कैसे लैंगिक रूढ़िवादिता महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को जारी रखने में योगदान करती है। पुस्तक की लेखिका रेबेका जे. कुक और सिमोन क्यूसैक का कहना है कि महिलाओं के लिए समानता हासिल करने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता का विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि यह लैंगिक असमानता का मूल चालक है। कुक और क्यूसैक ने लिंग रूढ़िवादिता को "समाज में उनकी क्षमताओं, रुचियों और भूमिकाओं के बारे में धारणा बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों के बारे में सामान्यीकरण का उपयोग" के रूप में परिभाषित किया है। उनका तर्क है कि लैंगिक रूढ़ियाँ महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं और अक्सर इसी पर आधारित होती हैं पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर के बारे में गलत धारणाएं।

**'लुकिंग थ्रू मिसोगिनी:** इंडियन मेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स, लॉ, एंड चैलेंजेज फॉर फेमिनिज्म में, बसु भारत में पुरुषों के अधिकार सक्रियता (एमआरए) के विस्तार का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। बसु के अनुसार, एमआरए एक परिष्कृत सामाजिक आंदोलन है जो केवल नारीवाद की प्रतिक्रिया होने के बजाय भारत की बदलती लिंग गतिशीलता को दर्शाता है। अपने परिचय में, बसु ने भारत में एमआरए आंदोलन के विकास का पता लगाया। वह बताती हैं कि वैवाहिक हिंसा और बाल यौन शोषण के कई हाई-प्रोफाइल उदाहरणों की प्रतिक्रिया में, पहला एमआरए संगठन 1990 के दशक की शुरुआत में सामने आया। इन संगठनों की लोकप्रियता तेजी से फैली और 2000 के दशक की शुरुआत तक, भारत सैकड़ों एमआरए संगठनों का घर बन गया। उसके बाद, बसु एमआरए की विचारधारा का विश्लेषण करते हैं। उनके अनुसार, एमआरए में बहुत सारे समान दृष्टिकोण हैं, जैसे कि यह विचार कि भारत में महिलाएं विधायी परिवर्तनों की मुख्य लाभार्थी हैं। घरेलू हिंसा और बाल यौन उत्पीड़न की स्थितियों में, न्यायिक प्रणाली में पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है। समानता की अपनी खोज में, नारीवादी आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया है और अब पुरुषों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है।

एलिजाबेथ ए. बेट्स और जूली सी. टेलर द्वारा संपादित संपूर्ण और शिक्षाप्रद पुस्तक डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन एंड बॉयज़: एक्सपीरियंस ऑफ मेल विक्टिम्स ऑफ इंटिमेट पार्टनर वायलेंस, पुरुष घरेलू हिंसा पीड़ितों के अनुभवों पर एक बहुत जरूरी परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। पुस्तक को चार खंडों में विभाजित किया गया है: पुरुष घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों पर सिद्धांत और अध्ययन, इस समय के दर्शन और अभ्यास की चुनौतियां। घरेलू दुर्व्यवहार के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रत्येक अनुभाग में अध्याय जोड़ते हैं, जिसमें पुरुष पीड़ितों के सामने आने वाली समस्याओं का एक जटिल और बोधगम्य अध्ययन प्रदान करने के लिए डेटा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जो कोई भी इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में अधिक जानना चाहता है, वह इस पुस्तक को एक महान संसाधन के रूप में उपयोग कर सकता है क्योंकि यह अच्छी तरह से लिखी गई है और दिलचस्प है

## 3. भारत में घरेलू हिंसा की अवधारणा और कारण

सबसे पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा क्या है। मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, घरेलू हिंसा का अर्थ है "एक परिवार या घर के सदस्य द्वारा दूसरे को शारीरिक चोट पहुँचाना;" यह भी: इस तरह के व्यवहार का बार-बार या अभ्यस्त पैटर्न। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 घरेलू हिंसा की एक विस्तृत परिभाषा देती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, "प्रतिवादी की चूक या कमीशन या आचरण घरेलू हिंसा माना जाएगा यदि- (ए) ) पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाता है या घायल करता है या खतरे में डालता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है और इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण शामिल है; या (बी) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या खतरे में डालता है; या (सी) खंड (ए) या खंड (बी) में उल्लिखित किसी भी आचरण से पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव पड़ता है; या (डी) अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। तो बहुत ही सरल शब्दों में, घरेलू हिंसा का तात्पर्य महिलाओं के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों या घरेलू संबंध रखने वाले परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से है। घरेलू हिंसा की अवधारणा केवल शारीरिक शोषण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक शोषण, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या संपत्ति के दुरुपयोग तक फैली हुई है। आमतौर पर लोगों की धारणा है कि पत्नी को मारना-पीटना ही घरेलू हिंसा है, लेकिन घरेलू हिंसा का दायरा काफी व्यापक है। भले ही महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं लेकिन उनके साथ कोई न कोई घरेलू

हिंसा लगातार बनी रहती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि सभी मापदंडों पर पुरुषों के बराबर होने के बावजूद महिलाओं को सिर्फ लिंग के आधार पर क्यों पीड़ित होना पड़ता है। गंभीर घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा और प्राथमिक कारण महिला की चुप्पी है। भारत में महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए अच्छे कानून बनाए गए हैं, लेकिन जब तक वे खुद कानून के पास नहीं जातीं, तब तक उनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। शिक्षित हो या अशिक्षित सभी महिलाएं न्याय का दरवाजा खटखटाने के बजाय चुप्पी साधे रहना पसंद करती हैं। यह डर कि मामले को अदालत में ले जाने से उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा या अपने जीवनसाथी के साथ उनके रिश्ते पर असर पड़ेगा, यही प्रमुख कारण है जो उन्हें चुप रखता है। इन सब डर के कारण वे घरेलू हिंसा के शुरुआती दौर में चुप्पी साध लेती हैं जो बाद में गंभीर क्रूरता का रूप ले लेती है।

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि घरेलू हिंसा की शिकार 86% महिलाएं कानूनी मदद नहीं लेना चाहती हैं और उनमें से 77% अपने साथ हुई हिंसा के बारे में किसी को नहीं बताती हैं। ये आंकड़े अपने आप में बेहद भयावह हैं। यदि कोई महिला हिंसा के इन चरम रूपों के खिलाफ सहायता पाने के लिए कानून का दरवाजा नहीं खटखटाती है, तो कानूनी ढांचा उनकी मदद कैसे करेगा। घरेलू हिंसा आमतौर पर घर की चारदीवारी के भीतर हो रही है और अगर ये घटनाएं दर्ज नहीं की जाएंगी तो इन्हें कम करने के लिए शायद ही कुछ किया जा सकेगा। तो पितृसत्तात्मक संरचना की उपस्थिति, रूढ़िबद्ध लिंग भूमिकाएं, रूढ़िवादी मानसिकता और महिलाओं की चुप्पी सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो घरेलू हिंसा को ट्रिगर करते हैं। इस अधिनियम का दायरा व्यापक है और इसमें सभी महिलाएं शामिल हैं जो बहनें, विधवा, मां, एकल मां, जीवित रिश्ते में प्रेमिका आदि हो सकती हैं। ये सभी महिलाएं इस अधिनियम के आधार पर कानूनी सुरक्षा पाने की हकदार हैं।

# 4. भारतीय पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का कानूनी पहलू

भारत में घरेलू हिंसा कानून पूरी तरह से महिलाओं की रक्षा करते हैं, जिसका अर्थ है कि पुरुष केवल अपराधी हो सकते हैं, पीड़ित नहीं। दूसरी ओर, निरोधक आदेश, अदालत द्वारा जारी किए जा सकते हैं और अपमानजनक पति या अपराधी को पुरुष पीड़ित पर शारीरिक या मौखिक रूप से हमला करने से रोका जा सकता है। यदि पुरुषों को महिलाओं या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उन्हें कानूनी मदद नहीं मिल सकती है क्योंकि उन्हें कानूनी तौर पर घरेलू हिंसा के शिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

भले ही भारत में घरेलू दुर्व्यवहार के पुरुष पीड़ितों पर बहुत अधिक अध्ययन नहीं किए गए हैं, लेकिन ऐसी जानकारी का भंडार बढ़ रहा है जो दिखाता है कि जब पुरुष पीड़ितों को उनके अनुभवों को स्वीकार करने और गंभीरता से लेने की बात आती है तो उन्हें अलग-अलग बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पुरुषों की अजेयता के मिथक को तोड़ने, मदद मांगने के व्यवहार को कलंकित करने और समावेशी नीतियों और सहायता प्रणालियों का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यह उनकी आवाज़ को बढ़ाकर और उनकी कहानियों पर प्रकाश डालकर पूरा किया जाएगा। यह जरूरी है कि घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार पुरुषों के अनुभवों को पहचाना जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी पीड़ा को स्वीकार किया जाए और सुरक्षा और कल्याण के उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए।

### सामाजिक पहलू

भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक संरचना गहराई तक व्याप्त है, जो महिलाओं को अधीनस्थ और कमजोर मानती है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू हिंसा को अक्सर एक सामान्य या स्वीकार्य व्यवहार के रूप में देखा जाता है। लैंगिक असमानता भी इस समस्या को बढ़ावा देती है, जहाँ महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर सीमाएँ होती हैं। साथ ही, समाज में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और समर्थन का अभाव उन्हें न्याय और सहायता प्राप्त करने से रोकता है।

### सांस्कृतिक आयाम

पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएँ और सांस्कृतिक मान्यताएँ भी घरेलू हिंसा में योगदान करती हैं। कई समुदायों में महिलाओं की सहनशीलता को आदर्श माना जाता है, जिससे वे हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने से हिचकिचाती हैं। जाति और धर्म के आधार पर घरेलू हिंसा के स्वरूप और तीव्रता में भिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा, सामाजिक कलंक भी इस समस्या को और जटिल बना देता है, जहाँ पीड़ितों को दोषी ठहराया जाता है या परिवार की "इज्जत" को प्राथमिकता दी जाती है।

### कानूनी परिप्रेक्ष्य

घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2005 इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे धीमी न्याय प्रक्रिया, पुलिस की निष्क्रियता और पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता की कमी। न्याय प्रणाली की खामियाँ और पुनर्वास तंत्र की अपर्याप्तता भी इस समस्या के समाधान में बाधा बनती हैं। पीड़ितों के लिए आश्रय गृहों और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करने की आवश्यकता है।

### परिणाम और सुझाव

घरेलू हिंसा की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और हिंसा के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रभावी नीतिगत सुधार और मजबूत कानूनी तंत्र के साथ-साथ महिलाओं के

सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और कौशल विकास भी महत्वपूर्ण हैं। सामुदायिक भागीदारी, एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पीड़ितों के लिए सहायता और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना आवश्यक है।

## 5. उपसंहार

इस अनुसंधान द्वारा, हमने "बंद दरवाजों से परे: समकालीन भारत में घरेलू हिंसा की परतें खोलना" के विषय में एक व्यापक और गहरे दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। यह अनुसंधान दिखाता है कि घरेलू हिंसा केवल एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं प्रभावित करती है, बल्कि यह समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को भी प्रभावित करती है।

अनुसंधान ने दिखाया है कि घरेलू हिंसा के सामाजिक कारणों को समझने के लिए हमें समाजिक न्याय के स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। विभिन्न धाराओं में घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक चरणों को तय करने में, हमें सामाजिक संरचना में समरूपता और समाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है।

कानूनी दृष्टिकोण से, हमें न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके और वे सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा, समाज को सुधारने के लिए हमें साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सकें और इसकी रक्षा कर सकें।

समापन में, इस अनुसंधान से हम उजागर करते हैं कि घरेलू हिंसा को समझने और उससे निपटने के लिए समाज, सरकार, और व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। यह एक समाजशास्त्रीय, न्यायिक, और मानवाधिकारी दृष्टिकोण से घरेलू हिंसा के खिलाफ सामूहिक समर्थन की आवश्यकता को पुनरावलोकन करता है, जिससे समृद्ध और समर्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद हो सकती है।

## संदर्भ सूची

एलिस, ए (2015)। पुरुष, मर्दानगी और हिंसा: एक नृवंशविज्ञान अध्ययन। रूटलेज।

कुक, पी डब्ल्यू (2009)। दुर्व्यवहार करने वाले पुरुष: घरेलू हिंसा का छिपा हुआ पक्ष। एबीसी-सीएलआईओ।

कुक, आर, और कुसैक, एस (2011)। लिंग स्टीरियोटाइपिंग: अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दृष्टिकोण। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय प्रेस।

बसु, एस (2016)। स्त्री द्वेष के माध्यम से देखना: भारतीय पुरुष अधिकार कार्यकर्ता, कानून और नारीवाद के लिए चुनौतियां। कनाडाई जर्नल ऑफ वुमन एंड द लॉ, 28 (1), 45-68।

देशपांडे, एस (2019)। पुरुषों के खिलाफ हिंसा के सामाजिक-सांस्कृतिक और कानूनी पहलू। जर्नल ऑफ साइकोसेक्सुअल हेल्थ, 1 (3-4), 246-249।